राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः प.1(1)चिस्वा/ग्रुप–2/2020 जयपुर, दिनांक : 10.06.2020

आदेश

विदेशों से प्रदेश में आ रहे प्रवासी राजस्थानियों को कोविड–19 के प्रसार को रोकने व संक्रमण की श्रृंखला को तोडने हेतु सात दिवस के लिए संस्थागत क्वारन्टाईन व सात दिवस के लिए होम क्वारन्टाईन किया जा रहा है। राज्य सरकार के संज्ञान में आया है कि विदेशों से आये कुछ प्रवासी संस्थागत क्वारन्टाईन से मुक्त होने के बाद अपने गृह जिले में जांच करवाये जाने पर कोविड–19 से संक्रमित (Positive) पाये गये है, जो एक गंभीर चिन्ता का विषय है।

उक्त स्थिति में कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण से बचाव, रोकथाम, इसके संक्रमण की श्रृंखला को तोडने हेतु व्यापक लोक हित में यह निर्णय लिया गया है कि विदेशों से आये प्रवासी राजस्थानियों का सात दिवस का संस्थागत क्वारन्टाईन पूर्ण करने के पश्चात उन्हे होम क्वारन्टाईन में भेजे जाने से पूर्व कोविड–19 की जांच सुनिश्चित की जावे।

उक्त निर्देशों की कडाई से पालना सुनिश्चित की जावे।

10/06/20
(रोहित कुमार सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय/
3. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय
4. निजी सचिव, मा. मुख्य सचिव महोदय।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग विभाग।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
7. जिला कलक्टर, जयपुर को पालनार्थ।
8. अन्य समस्त जिला कलक्टर, राज. को सूचनार्थ।
9. समस्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर
10. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोन राज.
11. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, राज.
12. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज.
13. निजी /रक्षित पत्रावली

(संजय कुमार) 10.6.2020
शासन उप सचिव